

श्री सीमि-ए बनाम अजमाल

SPओसा  
तारीख हुकम


894

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जो इस हुकम को लागू  
में जारी हुए


26-7-23


उक्तपक्ष के वकील उपर, वकील राधा/ने  
प्रा० ५० बाबत विद्वा फरमाये जाने प्रा० ५०  
पुस्तुत किया। फावली वास्ते सुनवाई प्रा० ५०  
दिनांक २-४-२३ को पेडा हो।


  
(राजेन्द्र सिंह)  
अपर कलक्टर अजमेर

२४/२३

उक्तपक्ष के वकील उपर, वकील राधा/ने  
को प्रदिया पर बाबत विद्वा फरमाये जाने प्रा० ५०-  
पर पुस्तुत किया। वकील राधा/ने प्रदिया-पर  
तथ्यों को नोटाते हुए कथन/निवेदन किया कि  
पक्षी प्रदिया/प्रदिया-पर को दख जार्गे नहीं  
चलाना चाहता है एवं ना ही उक्त प्रदिया-पर  
में कभी कदर कार्यवाही-चाहता है। इतः प्रस्तुत  
प्रदिया-पर स्वीकार करते हुए प्रदिया-पर को  
इसी स्तर पर जर्दि विद्वा निरन्तर/नारिबल  
उपलक्ष बुराने के हाडेशा फरमाये। उपरोक्त  
तथ्यों के परिपक्ष में पक्षी का विद्वा प्रदिया  
पर स्वीकार किया जाऊँ मूल प्रदिया-पर  
इसी स्तर पर इती कडर से विद्वा किदि जाय  
से स्वारिड किया जाता है। फावली फेराल सुनाए  
कीडर नंबड से कक हो।

  
(राजेन्द्र सिंह)  
अपर कलक्टर अजमेर

  
LAXMI NARAYAN  
DHATWA

  
प्रद्युमान